

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
दाण्डिक अपीलिय अधिकारिता

दाण्डिक अपील संख्या - 1669/2009

श्रीमति नीरज दत्ता

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

.....प्रत्यर्थी

आदेश

न्यायाधीश आर. भानुमती

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित दाण्डिक अपील संख्या 15 एवं 4/2007 के निर्णय दिनांक 02.04.2009 द्वारा उत्पन्न हुई है जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 (1)(D) सहपठित 13(1) में अपराध की पुष्टि की है एवं उसे कारावास का दंड दिया है ।
2. शिकायतकर्ता-राजीव सिंह सेठी को अपीलार्थी ने जो दिल्ली विद्युत बोर्ड में LDC के तौर पर कार्यार्थी था ने 17.04.2000 को 7:30 पूर्वाह्न पर फ़ोन किया एवं शिकायतकर्ता प्रार्थी से मिला, उसने

मीटर लगाने के लिए 15,000/- रुपये रिश्वत की मांग की जो सौदेबाजी के बाद रुपये 10,000/- कर दी गई | प्रार्थी उसी दिन समय 03:00 PM एवं 04:00 PM के बीच शिकायतकर्ता की दुकान पर पैसे लेने को राजी हो गई | जैसा कि, शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहता था उसने एक शिकायत (Ex. PW5/A) ACB को कर दी जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई | इंस्पेक्टर ओ. डी. यादव (PW-6) ने छापे से पहले की तैयारी की | एस. के. अवस्थी (PW-5) शिकायतकर्ता के साथ रहे एवं शिकायतकर्ता ने रुपये 10,000/- अपीलार्थी को दिए एवं उसने वह राशि दूसरे अभियुक्त योगेश कुमार / चालक को दिए | PW-5/shadow witness, के इशारा मिलने के पर PW-6-Inspector रेडिंग पार्टी के संग पहुँचे एवं रुपये 10,000/- दूसरे अभियुक्त योगेश कुमार से बरामद किये | प्रार्थी एवं अभियुक्त संख्या 2 योगेश कुमार दोनों के हाथों को जब सोडियम बाइकार्बोनेट सोलुशन में डाला गया तो वे गुलाबी रंग के हो गए थे | चार्जशीट प्रार्थी एवं मुल्जिम योगेश कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(2) के अंतर्गत दाखिल की गई (संक्षिप्त में : “The P.C. Act”) |

3. चूंकि प्रार्थी की विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो गई, उसका साक्ष्य नहीं हो सका, PW-5/नाम मात्र का गवाह, का साक्ष्य किया गया जिसमें अभियोजन के बाद का पक्ष लिया | PW-5 के साक्ष्य तथा अपीलकर्ता से पैसों की वसूली के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर कानूनी परितोषण की मांग एवं स्वीकृति अभियोजन द्वारा सिद्ध कर दी गयी है एवं अपीलकर्ता - अभियुक्त संख्या 1 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13-(1) (घ) सहपठित धारा 13(2) दोषसिद्ध किया तथा उसको दो वर्ष तथा तीन वर्ष के कारावास की सजा दी तथा जुर्माना भी लगाया | विचारण के न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 2 को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध किया | अपील में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को एवं उस पर कारावास की अधिरोपित सज़ा को सही ठहराया। उच्च न्यायालय ने दूसरे अभियुक्त को उस पर लगे आरोपों से मुक्त किया और ये माना की षड्यंत्र अथवा दुष्प्रेरणा को सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं है। उससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील दायर किया है।

4. अपीलार्थी के लिए पेश हो रहे फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.

गुरुकृष्णा कुमार एवं प्रत्यर्थी-राज्य हेतु पेश हो रहे फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमति किरण सूरी को हमने सुना।

5. अपीलार्थी का ये प्रतिरोध है कि, अवैध परितोषण की मांग के प्रमाण की अनुपस्थिति में अभियुक्त द्वारा मुद्रा की प्राप्ति का प्रमाण ही केवल अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने हेतु प्रयाप्त नहीं है। यह प्रतिरोध किया गया कि, जब शिकायत कर्ता का देहांत हो गया तो मांग का प्राथमिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता एवं जब अभियोग ऐसे प्राथमिक साक्ष्य द्वारा मांग को स्थापित नहीं कर सकता तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती।

6. अपने प्रतिरोध के समर्थन में, अपीलार्थी के फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने पी. सत्यानारायणा मूर्ति बनाम पुलिस जिला निरीक्षक आंध्रा प्रदेश एवं अन्य (2015-10-SCC-152) पर भरोसा किया है उक्त मुकद्दमे में, शिकायतकर्ता का विचारण से पूर्व देहांत हो गया एवं इस प्रकार अभियोग द्वारा परीक्षण नहीं हो सका। अभि. सा.-1 के रूप में पंच साक्षी का परीक्षण किया गया जो अभियोग के मुकद्दमे का मुख्य आधार था। यह टिप्पणी करते हुए कि, शिकायतकर्ता के देहांत के पश्चात मांग का प्राथमिक साक्ष्य

आगामी नहीं और मांग का अनुमानिक नतीजा निकालना

विधिनुसार अनुज्ञेय है, इस नयायालय ने पैरा (24) और (25) में

निम्न को माना:-

“24. अभि. सा.-1 एस. उदय भास्कर के मुकद्दमा के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियोग के मुकद्दमे का मुख्य आधार साक्ष्य है। यद्यपि राज्य के फाज़िल अधिवक्ता द्वारा प्रफुल्लित प्रयास किया गया है कि अभि. सा.-1 एस. उदय भास्कर के इस बयान को जाल दल द्वारा अपीलार्थी के कब्जे से इस राशि की बरामदगी, जाल संक्रिया में प्रयोग किए गए मुद्रा नोटों की पहचान और अपीलार्थी पर सोडियम कार्बोनेट घोल के रासायनिक प्रतिक्रिया को सम्मिलित करते हुए उपस्थित तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ा जाए, हम इस निष्कर्ष को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस मुकद्दमे में अभियोग मांग के तथ्य को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। यद्यपि अभि. सा.-1 एस. उदय भास्कर के साक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाए फिर भी यह अवैध परितोषण की मांग के प्रमाण की गुणवत्ता और निश्चितता पर पूरा नहीं उतरता जिसका आदेश विधि द्वारा दिया गया है जो कि, अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(d)(i) और (ii) के अंतर्गत किसी अपराध के सिद्ध होने के संदर्भ में दिया गया है। यह सत्य है कि, शिकायतकर्ता के देहांत के पश्चात मांग का प्राथमिक साक्ष्य, यदि कोई हो, आगामी नहीं है। अभियोग के अनुसार, वास्तव में दिनांक 03.10.1996 को अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से मांग की गई थी और उसी की शिकायत पर अगली तिथि अर्थात् 04.10.1996 को जाल बिछाई गई थी। तथापि, अभि. सा.-1 एस. उदय भास्कर की गवाही अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से अभिकथित रूप में की गई मांग को पुनः प्रस्तुत नहीं करती जिसको ऐसा माना जाए जो अधिनियम की धारा 7 अथवा धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के अंतर्गत अपराध के तौर पर विधि अनुसार विचार किया गया है कि, युक्तियुक्त संदेह से परे अपीलार्थी द्वारा कारित किया जाना सिद्ध हो गया हो।

25. हमारे आकलन के अनुसार, अभिकेख पर रखे साक्ष्य के आधार पर यह मानना कि धारा 7 और धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) में

अपीलार्थी की संलिप्तता सिद्ध हो गई है, एक अनुमानिक नतीजा होगा जो विधि में मान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध से अपीलार्थी को मुक्त कर दिया था और राज्य ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया था और उसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया है। अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के विषय में उपरोक्त में किया गया विश्लेषण अवैध परितोषण के मांग के प्रमाण की अनिवार्यता दिखाने के लिए था।

**सत्यानारायणा** में, न्यायालय यह मानकर चला कि शिकायतकर्ता के देहांत के कारण अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध करने में अभियोग की विफलता अभियोग के मुकद्दमे के लिए घातक होगी और अभियुक्त से बरामद की गई राशि उसकी दोषसिद्धि नहीं करा पाएगी।

7. श्रीमति सूरी, राज्य के फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया

कि, **सत्यानारायणा** में न्यायालय ने निर्णयों की शृंखला एवं विभिन्न

फैसलों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए निरंतर विचार पर ध्यान

नहीं दिया कि, मांग प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा पंच गवाह एवं

परिस्थितियों जैसे अन्य साक्ष्य से अनुमानिक नतीजा द्वारा भी सिद्ध

की जा सकती है।

8. फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान बहुत सारे निर्णयों की

ओर आकर्षित किया है जिनमें अभियुक्त को उस अवस्था में भी

दोषसिद्ध किया गया जब शिकायतकर्ता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं था

चाहे शिकायतकर्ता के देहांत के चलते अथवा चाहे शिकायतकर्ता के

पक्षविरोधी हो जाने के कारण। किशन चंद मंगल बनाम राजस्थान राज्य (1982) 3 SCC 466, विचारण के समय, शिकायतकर्ता राजेंद्रा दत्त का देहांत हो गया और उसका परीक्षण नहीं हो सका। न्यायालय ने दो अन्य गवाहों राम बाबू (अभि.सा.-1) और केशर मल (अभि.सा.-2), उप.एस. महावीर प्रसाद (अभि.सा.-7) के साक्ष्य और अभियुक्त से राशि की बरामदगी के तथ्य पर भरोसा किया और अभियुक्त को उसके आधार पर दोषसिद्ध कर दिया। अपिलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए इस न्यायालय ने माना कि, “.....खुली परिस्थितियाँ जो यह इंगित करती हैं कि, मांग अवश्य रूप से की गई होगी.....और यह कहना उचित नहीं कि, दिनांक 20 नवम्बर, 1974 को घूस की मांग का कोई साक्ष्य नहीं”।

9. **हज़ारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1980) 2 SCC 390**, शिकायतकर्ता पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया था और अन्य साक्ष्य केवल निरीक्षक (अभि.सा.-8) का था जिन्हें शिकायतकर्ता ने अपना बयान उस समय दिया था जब वह अपनी शिकायत दर्ज कराने गया था और दूसरा गवाह जिसने अभियोग के मुकद्दमे को केवल कुछ विशिष्टियों में समर्थन किया था। जाल बिछाने वाले निरीक्षक

तथा पंच गवाह के साक्ष्य के आधार पर और यह देख कर कि यह आवश्यक नहीं है कि धन का दिया जाना प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध होना चाहिए, हजारी लाल के पैरा (10) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

"10..... यह आवश्यक नहीं है कि धन का दिया जाना प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाए । यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है । वर्तमान मामले में जल्दी से घटित घटनाओं से केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त द्वारा पीडब्ल्यू-3 से धन प्राप्त किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में दिए गए उदाहरणों में से एक यह है कि न्यायालय यह मान सकता है कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। इसी प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय की यह उपधारणा है कि अभियुक्त जिसने अपनी जेब से पैसे बाहर निकाले और उन्हें दीवार के पार फेंका, उसने यह पैसे पीडब्ल्यू 3 से प्राप्त किये थे, जिसके पास कुछ मिनट पहले ही उन नोटों का कब्जा दिखाया गया था। एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियुक्त ने पीडब्ल्यू-3 से पैसे लिए थे, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत उपधारणा पर तुरंत ध्यान जाता है । यह उपधारणा निश्चित रूप से खंडन योग्य है लेकिन वर्तमान मामले में इस उपधारणा का खंडन करने का कोई आधार नहीं है । इसलिए अभियुक्त को निचली अदालतों ने सही दोषसिद्ध ठहराया । **[रेखांकन जोड़ा]** ।



10. एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश (2001) 1 SCC 691, में दोनों शिकायतकर्ता-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2-पंच गवाह मुकर गए । अपीलकर्ता/अभियुक्त ने प्रतिवाद किया कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह उपधारणा तभी बनाई जा सकती है जब अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर मांग को सिद्ध करने में सफल हो कि दोषी लोक सेवक ने परितोषण स्वीकार या प्राप्त किया है और यह अधिनियम की धारा 20 में परिकल्पित विधिक उपधारणा के लिए आधार बनने हेतु एक अनुमान पर निर्भर नहीं कर सकता। उक्त कथन को अस्वीकार करते हुए और अधिनियम की धारा 20 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “अनुमान लगाएगा” के अभिप्राय पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:-

“14. जब उप-धारा विधिक उपधारणा से सम्बद्ध हो तो उसे in terrorem के रूप में समझना होगा अर्थात् एक आदेश के स्वर में यह मानना होगा कि अभियुक्त ने किसी सरकारी कार्य आदि को करने या न करने के लिए एक उद्देश्य या प्रतिफल के रूप में परितोषण स्वीकार किया आदि, यदि धारा के पूर्व भाग में परिकल्पित शर्त संतुष्ट हो । धारा 20 के अंतर्गत ऐसी विधिक परिकल्पना को ग्रहण करने की एकमात्र शर्त यह है कि विचारण के दौरान यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने कोई परितोषण स्वीकार कर लिया है या स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। धारा में यह नहीं कहा गया है कि उक्त शर्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से संतुष्ट किया जाना चाहिए । इसकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने परितोषण स्वीकार कर लिया है या स्वीकार करने के लिए सहमत

हो गया है । प्रत्यक्ष साक्ष्य उन विधियों में से एक है जिनके माध्यम से तथ्य सिद्ध किया जा सकता है । लेकिन साक्ष्य अधिनियम में यह एकमात्र तरीका परिकल्पित नहीं है ।

17. उपधारणा अन्य सिद्ध तथ्यों से निकले किसी तथ्य का अनुमान है। किसी दूसरे तथ्य से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाते समय न्यायालय केवल बुद्धिमान तर्क की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है जो एक विवेकपूर्ण आदमी का मन समान परिस्थितियों करेगा। उपधारणा अन्य तथ्यों से निकाला जाने वाले अंतिम निष्कर्ष नहीं है। लेकिन यह निर्णायक भी हो सकती है यदि यह बाद में अबाधित रहती है। साक्ष्य के कानून में उपधारणा सबूत के भार को बदलने की अवस्था को दर्शाने वाला एक नियम है। किसी निश्चित तथ्य या तथ्यों से न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है और वह तब तक बना रहेगा जब तक कि यह निष्कर्ष या तो अस्वीकृत या खारिज नहीं हो जाता।

.....

19. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) में कहा गया है कि न्यायालय यह मान सकता है कि "चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्ज़ा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।" इस दृष्टांत का वर्तमान संदर्भ में भी सफलता से उपयोग किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष विश्वसनीय सामग्रियां लाया हो कि जब अपीलकर्ता की तलाशी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पीडब्लू-7 डीएसपी द्वारा की गई तो उसकी जेब में फिनोल्फथैलीन लगे 500 रुपये के करेंसी नोट थे। इसके द्वारा अपने आप से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से उस राशि को स्वीकार किया क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन करेंसी नोटों को उसकी जेब में भरने अथवा चोरी-छिपे उसमें डालने की संभावना है। लेकिन अन्य परिस्थितियां जो दागी मुद्रा नोटों की खोज करने से पहले तथा बाद में इस मामले में सिद्ध हुई हैं और, न्यायालय को तथ्यात्मक अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करने में संगत और उपयोगी है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से करेंसी नोट प्राप्त किए। [रेखांकन जोड़ा]।

11. मांग का प्रत्यक्ष या प्राथमिक प्रमाण कम से तीन उदाहरणों में उपलब्ध नहीं हो सकता:-(i) जब शिकायतकर्ता मृत है और उसकी गवाही नहीं की जा सकी; (ii) शिकायतकर्ता मुकर गया; और (iii) शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता या अन्य कारणों की वजह से गवाही नहीं की जा सकी। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मांग का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है परंतु पञ्च गवाहों के साक्ष्यों से फेनोल्फीथलीन परीक्षण के द्वारा पैसों की स्वीकार्यता सिद्ध हो गई थी एवं अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा को प्रस्तुत कर मांग सिद्ध करने के लिए अनुमान लगाना स्वीकार्य है।

12. प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन किया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत न्यायालय इसमें वर्णित उपधारणा को ग्रहण करने के लिए बाध्य है एवं प्रश्नगत उपधारणा मान्य होगी जब तक कि अभियुक्त इसके विपरीत न सिद्ध कर दे। यह दृढ़तापूर्वक कहा गया कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को किसी तथ्य को सिद्ध करने के बोझ से मुक्त करना है एवं ऐसे में मांग सिद्ध करने के लिए प्राथमिक साक्ष्यों पर जोर देना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों में दी गई राय के अनुरूप नहीं है।

13. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि न्यायालय को अभिलेख पर लाये गए तथ्यों एवं परिस्थितियों पर अवश्य विचार करना चाहिए एवं निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु यह अनुमान लगाना चाहिए कि क्या अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति सिद्ध हुई या नहीं। मांग को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा प्राथमिक साक्ष्य का आग्रह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दी गई राय के अनुरूप नहीं है। विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क की पुष्टि हेतु हमारा ध्यान अन्य मामलों की तरफ दिलाया कि सत्यनारायण ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थिर विचार को ध्यान में नहीं लिया था। हम आगे किसी भी विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। हमारी राय है कि निम्नलिखित मुद्दे पर बड़ी न्यायपीठ द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है:-

“प्रश्न कि क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में/ अवैध परितोषण की मांग के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 तथा धारा 13(1) (घ) सह पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत किसी लोक सेवक की अभियोज्यता/जुर्म का अनुमान अभियोजन द्वारा अन्य साक्ष्य के आधार पर अनुज्ञेय नहीं है”

15. इस न्यायालय द्वारा भिन्न निर्णयों में लिए गए स्थिर विचार को ध्यान में रखते हुए, P. Satyanarayana Murthy V. District Inspector of Police, State of Andhra Pradesh and another में इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित अवलोकन एवं निष्कर्षों के सम्बन्ध में हमें कुछ संकोच है । इस मामले को समुचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

.....न्यायाधीश  
[आर. भानुमति]

.....न्यायाधीश  
[आर. सुभाष रेड्डी]

नई दिल्ली

28 फरवरी, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।